International Journal of Applied Research 2016; 2(6): 1061-1063

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(6): 1061-1063
www.allresearchjournal.com
Received: 16-04-2016
Accepted: 19-05-2016

गायत्री कुमारी
शोधकर्ती (शिक्षा संकाय)
ललित ना0 मि0 वि0 वि0 दरभंगा, बिहार, भारत

Correspondence
गायत्री कुमारी
शोधकर्ती (शिक्षा संकाय)
ललित ना0 मि0 वि0 वि0 दरभंगा, बिहार, भारत

विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बालकों के विकास में माता–पिता, शिक्षक, समाज और सरकार की भूमिका

गायत्री कुमारी

सारांश
बच्चे ईश्वर का वरदान होते हैं। उनके जन्म पर परिवार और समाज खुशियाँ मनाता है तथा उसे अपने जीवन का सहारा मानते हैं परन्तु कभी–कभी इन्हीं बालकों में से कुछ बालकों का विकास असामान्य रूप से होता है। जिस कारण वे अपनी स्वयं की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे दूसरे पर निर्भर हो जाते है। ये परिवार तथा समाज पर बोझ स्वरूप मान लिये जाते है परन्तु क्या समाज का ये नजरिया सही है जिसे ईश्वर ने ही शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक रूप से अपूर्ण बनाया उसके साथ समाज भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करें ? प्रस्तुत लेख में ऐसे हीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास और समायोजन में माता पिता, शिक्षक, समाज और सरकार के प्रयासों की चर्चा करेंगे।

भूमिका
विशेष आवश्यकता वाले बालकों का किसी कारणवश (ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं) विकास अपूर्ण रह जाता है। अतः इन्हें विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। जिसके सहारे वे अपनी कमियों को दरकिनार करते हुए कुछ अच्छा कर पायें। परन्तु शुरूआती अवस्था में अपंगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनपर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें ईश्वर का अभिशाप तथा माता–पिता पर बोझ समझा जाता है। शारीरिक रूप से बाधितों के बारे में सामान्यतः ऐसा कहा जाता था कि वे अपूर्ण और पूर्णतः बेकार होते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो कृपा के पात्र हैं तथा जब तक जीवित हैं इनकी देखभाल करनी होगी। इतिहास गवाह है कि शारीरिक विकलांगता के कारण प्राचीन काल में अष्टावक्र महाराज को काफी सामाजिक उपेक्षा और आलोचना झेलनी पड़ी थी, परन्तु उनकी विद्वता से समस्त संसार परिचित है।
समाज तथा सभ्यता के विकास में हुए परिवर्तन के कारण विकलांग बालकों के प्रति समाज तथा माता–पिता के व्यवहार में परिवर्तन आया है। बाल मनोविज्ञान के विकास तथा आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विकास में माता–पिता, शिक्षक समाज और सरकार सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निर्बाह करने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास
कोठारी कमीशन (1964–66) ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता के लक्ष्य बालकों के विशिष्ट समूह की शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते हैं। जब तक बालकों के इस समूह के लिये उपयुक्त शिक्षा सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जाती, बाधित बालकों का शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभिक अवस्था में कम होगा। बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों का 0.07 प्रतिशत है जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेते है यह आँकड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE-1992) के अनुसार एक प्रतिशत तक पाई गई। इतने कम प्रतिशत से यह मालूम पड़ता है, कि हमारे देश में विभिन्न बाधिताओं से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा के अवसरों से वंचित रहते हैं। हालांकि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्रावधान है, जो सभी की लिये आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेते अथवा किसी न किसी कारणवश शिक्षा आधी–अधूरी छोड़ देते है। शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नति विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में रेखीय प्रावधान के कारण नहीं हो पाई जब कि 90 प्रतिशत बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते है।

सामान्य स्कूल कार्यक्रमों में बाधित बालकों की समन्वित शिक्षा कोठारी कमीशन की घोषणा के अनुसार

(1) शिक्षा हेतु व्यय में कमी
(2) बाधित तथा सामान्य बालकों में एक दूसरे को आपस में समझने की भावना में वृद्धि करती है। कुछ बाधित बालक कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि सामान्य बालक उनकी अपेक्षा अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक बालकों को समन्वित शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का प्रयास करने की अति आवश्यकता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक साथ तथा सामान्य बालको के समान होनी चाहिये। केवल जिला मुख्यालयों में गंभीर रूप से बाधितों की शिक्षा के लिये विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में आदर्श स्वरूप 1995 तक देखा जा सकता है जब शारीरिक रूप से बाधित बालकों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता का स्वरूप होगा।

सन् 1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन का प्रारूप प्राचीन स्थापना के सिद्धान्तों को अपनाने की सलाह देता है। इसका ऐसा मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिये, विशिष्ट स्कूलों में नहीं। यहाँ तक कि ऐसे बालक जो विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में पहले से ही शिक्षा या प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे है अथवा किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर रहे है जो उन्हें सामान्य स्कूल के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम चाहिये। जैसे ही वे प्रारंभिक शैक्षणिक निपुणता, सम्प्रेषण कौशल तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त कर लेगा तब उनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में होनी चाहिये। शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने के लिये, क्रियान्वन का प्रारूप (Programme of Action) में यह भी आशा दिखाई कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करें।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विकास में माता–पिता की भूमिका

माता–पिता का किसी भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल विकास का सिद्धान्त कहता है कि जन्मपूर्व ही माता के गर्भ में बालक के विकास की नींव पड़ जाती है। माता जैसे खाती है, जो सोचती है, उसका प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। माता के पोषण में कमी होने या उसके मानसिक रूप से परेशान होने की स्थिति में बालक भी कुपोषण और मानसिक मंदन का शिकार हो सकता है। बालक के जन्म के पश्चात भी माता–पिता या परिवारजनों का भेदभावपूर्ण व्यवहार या उपेक्षा बालक के विकास में बाधक हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बालक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों और लक्षणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें अतिरिक्त अनुदेशन और मार्गदर्शन (Guidance & Counselling) की आवश्यकता होती है। ऐसे में माता–पिता को अपने बच्चों की सहज जीवन जीने हेतु हर संभव सहायता करनी चाहिए व मानसिक संबल प्रदान करना चाहिए। उन्हें यह एहसास करवाना चाहिए कि बच्चे अपने माता–पिता पर बोझ नहीं हैं; बल्कि उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और भले ही उनमें प्राकृतिक कमी मौजूद हो परन्तु अपनी अन्य योग्यताओं को निखार कर वे भी अपने माता–पिता का नाम रौशन कर सकते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बालको के विकास में समाज की भूमिका

विकलांगो का विकास समाज के नजरिये से भी प्रभावित होता है, समाज में ऐसे बालकों को उसके अपंगता के आधार पर एक विशेष नाम दे दिया जाता है। जो उनकी कमियों की ओर ध्यान खीचता रहता है। जैसे लंगड़ा, लूला, अंधा आदि उपनाम द्वारा उन बच्चों का संबोधन करना, इस तरह के नामकरण द्वारा ऐसे बच्चों में हीन भावना का विकासा होता है। जिसका प्रभाव बालक की मानसिक अवस्था और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ता है। समाज के लोगों को इस प्रकार के बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। साथ ही इन्हें भी पूर्ण सम्मान व स्नेह मिलाना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त है, इस का फायदा यह होगा कि विकलांग बालक भी अपनी कमियों के साथ ही सही, आगे बढ़ने का प्रयास करेगें।

शिक्षक की भूमिका

बालकों के विकास में शिक्षक की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक अपने छात्रों के लिए आदर्श (Role Model) होता है। हरेक बच्चा अपने आदर्श शिक्षक की तरह बनना चाहता है। अतः शिक्षक को प्रजातांत्रिक विचारों का समर्थक होना चाहिए। वह सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करे चाहे वह सामान्य बच्चा हो या विकलांग। आज के समय में समावेशी शिक्षा पर जोर डाला जाता है ऐसे में शिक्षक की भूमिका और भी अहम हो जाती है। शिक्षक स्नेही हो, बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव रखे तथा छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे, छात्रों की उपलब्धि की सराहना करें तथा विकलांगों को भी सीखने में सहानुभूतिपूर्वक सहायता करें। वह बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें तथा कुछ नया सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। शिक्षक निम्नांकित तरीकों से विकलांग छात्रों की सहायता कर सकता है–

1. विकलांग बालकों की पहचान तथा उनकी समस्याओं का पहचान तथा निर्धारण करना।
2. बालक दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करे इसे सीखने में उनकी सहायता करना।
3. विशिष्ट बालकों की शिक्षण समस्याओं की पहचान करना, इसकी जानकारी उन्हें देना तथा सुधार हेतु सामुहिक संगठन करना।
4. उनके सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा देना।
5. शारीरिक विकलांग बालकों के माता–पिता को उनकी निपुणता तथा कार्यकुशलता के बारे में समझाना तथा कमियों के बावजूद विकास के अवसर और रोकथाम के उपाय बताना।
6. विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास में सहयोग प्रदान करना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक बालकों की रूचि, अभिरूचि, उनकी विशिष्ट क्षमता के आधार पर उसके शैक्षिक क्षेत्र के चयन और व्यावसायिक क्षेत्र की जानकारी देने में सहायता प्रदान करने वाले हों।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विकास के लिये किये जा रहे सरकारी प्रयास

वर्तमान में बाल मनोविज्ञान के विकास और विस्तार के कारण सरकारें भी सामान्य बच्चों के साथ–साथ विशिष्ट बालकों की ओर काफी ध्यान दे रही है। हमारे देश में भी विभिन्न शिक्षा नीतियों

में और विकलांग व्यक्तियों के लिए बने विभिन्न अधिनियमों के द्वारा विकलांगों के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। इनको सम्मान और उत्साहवर्धन हेतु इनके लिए विशिष्ट शब्द 'दिव्यांग' कहे जाने के लिए हमारी सरकार ने लोगों को काफी प्रोत्साहित किया है। दिव्यांगों के पुनर्वास और समायोजन के लिए निम्नांकित प्रयास किया जा रहा है।

1. ऐसे बालकों के लिये जो सामानय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षित किये जा सकते हैं–

- 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बालकों का व्यापक प्रवेश।
- विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और पाठ्यक्रम के समायोजन के माध्यम से अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना।

2. सामान्य शिक्षा संस्था में विशिष्ट कक्षाओं या विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण हेतु बालकों के लिये–

- 9 वी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बालकों का व्यापक प्रवेश।
- बालकों की सामर्थ्य के अनुरूप अधिगम स्तर की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना।

3. सामान्य बालकों के अनुरूप बाधित बालकों के स्कूल छोड़कर जाने में कमी लाना। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था करना।
4. बाधित बालकों का माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराना तथा इन बालकों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
5. सेवाओं से पहले या सेवारत शिक्षकों के लिये शिक्षा के कार्यक्रमों को बार–बार दोहराना जो कक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने में सहायक हो। ऐसे छात्रों को अधिक प्रोत्साहन देना।
6. शारीरिक रूप में बाधित व्यक्तियों की शिक्षण एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सामान्य नियमों से हटकर शिक्षा के कार्य प्रारूप बनाना तथा उनका पुर्नअभिविन्यास करना।

निष्कर्ष

माता–पिता तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों के विकास के लिए समुचित वातावरण तैयार करे ताकि उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिले। ऐसे में विशेष आवश्यकता वाले शारीरिक विकलांग बालकों के माता–पिता का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। उन्हें अपने बच्चों की अधिक सहायता और देखभाल करने की आवश्यकता होती है। माता–पिता के साथ–साथ शिक्षकों को भी कुछ विशिष्ट देखभाल और योजना के साथ ऐसे बालकों के समायोजन, शिक्षा और व्यवसाय हेतु सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो तथा विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षित हो तभी वह दिव्यांग छात्रों के विकास में भी सहायक हो सकता है। इन सबके अतिरिक्त समाज और सरकार को भी इन छात्रों के विकास और समायोजन हेतु हर संभव प्रयास करना होगा तभी हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो पायेगा।

संदर्भ

1. पांडेय, के0 पी0, 2011, शिक्षक अधिगम की टेकनालॉजी, विश्वविद्यालय।
2. शर्मा, डॉ0 आर0 ए0, 2009, विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
3. क्रीक0 एस0, 1962, एडूकेटिंग एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन, हहन मिश्रलिन कंपनी बोस्टन ।